छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक:–23/रेरा/लेखा/2026/1560 रायपुर, दिनांक 29/04/2026

//आदेश//

विषय :– छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत प्रोजेक्ट के पंजीयन वापसी (De-registration) संबंधी शपथ पत्र के संबंध में।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ रेरा आदेश क्रमांक–14/रेरा/2022/1277 दिनांक 21.09.2022।

––00––

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत प्रोजेक्ट के पंजीयन वापसी (De-registration) के संबंध में प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के प्रारूप में निम्नानुसार कंडिका–(v) के बाद कंडिका–(vi) जोड़ा किया जाता है –

(vi) **"यह कि मेरे (प्रमोटर) द्वारा यह घोषित किया जाता है कि परियोजना [Project Name], स्थित [Location], खसरा क्रमांक […………...], रकबा […………….]Sq.Mtr. के संबंध में आज दिनांक तक किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विक्रय या पंजीयन नहीं किया गया है; तथा यदि पूर्व में कोई विक्रय/पंजीयन किया गया था, तो उसे विधिवत निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति पुनः प्रमोटर के नाम पर पंजीकृत कर ली गई है तथा प्राप्त समस्त राशि संबंधित व्यक्तियों को वापस कर दी गई है; और वर्तमान में उक्त संपूर्ण परियोजना भूमि का स्वामित्व, अधिकार एवं हित पूर्णतः प्रमोटर में निहित है तथा उस पर किसी भी तृतीय पक्ष का कोई अधिकार या दावा शेष नहीं है।"**

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश क्रमांक–14/रेरा/2022/1277 दिनांक 21.09.2022 के अन्य शर्तें पूर्वानुसार रहेंगे।

(माननीन प्राधिकरण द्वारा आदेशित)

संलग्न:– शपथ पत्र प्रारूप

(आस्था राजपूत)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं <Promoter/Director/Partner Name> प्रमोटर / डायरेक्टर / पार्टनर <Promoter Name> छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट <Project Name> पंजीयन क्रमांक <Project Registration No> के निरस्तीकरण हेतु शपथ पूर्वक यह बयान देता हूँ कि –

(i) समाचार पत्र में प्रकाशन संबंधित निर्देश कंडिका क्रमांक–1 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है, जिसकी मूल प्रतियां संलग्न की गयी है।

(ii) किसी व्यक्ति / संस्था आदि की कोई भी बुकिंग धनराशि या भुगतान, उस व्यक्ति / संस्था को नियमानुसार बुकिंग की शर्तों के अनुसार वापस कर दिया गया है। अब हमारे (प्रमोटर / रेरा पोर्टल) पर किसी भी सस्था / व्यक्ति का इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी भुगतान लबित नहीं है।

(iii) प्रमोटर / स्वयं द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाओं की पूर्ण जिम्मेदारी ली जा रही है।

(iv) प्रमोटर (मेरे / हमारे) द्वारा यदि भविष्य में प्रोजेक्ट को पुनः प्रारंभ किया जाता है तो छत्तीसगढ़ रेरा में नियमानुसार पुन रजिस्ट्रेशन कराने उपरात ही प्रोजेक्ट में विकास / विक्रय का कार्य किया जायेगा।

(v) किसी भी स्तर पर शपथ पत्र में कोई गलत सूचना पाये जाने पर प्रमोटर (हमारे) विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।

(vi) यह कि मेरे (प्रमोटर) द्वारा यह घोषित किया जाता है कि परियोजना [Project Name], स्थित [Location], खसरा क्रमांक […………...], रकबा […………….]Sq.Mtr. के संबंध में आज दिनांक तक किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विक्रय या पंजीयन नहीं किया गया है; तथा यदि पूर्व में कोई विक्रय / पंजीयन किया गया था, तो उसे विधिवत निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति पुनः प्रमोटर के नाम पर पंजीकृत कर ली गई है तथा प्राप्त समस्त राशि संबंधित व्यक्तियों को वापस कर दी गई है; और वर्तमान में उक्त संपूर्ण परियोजना भूमि का स्वामित्व, अधिकार एवं हित पूर्णतः प्रमोटर में निहित है तथा उस पर किसी भी तृतीय पक्ष का कोई अधिकार या दावा शेष नहीं है।

शपथकर्ता

नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापन

उपरोक्त कंडिका क्रमांक (i) से कंडिका क्रमांक (vi) तक वर्णित जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व विश्वसनीय है ।

दिनांक –

स्थान –

शपथकर्ता

नाम एवं हस्ताक्षर